पत्रांक / /आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 /15–16/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांक:: देहरादून :: 03 नवम्बर, 2015

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन वित अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 472/2015/XXVii(8)/1A (120)/2001 दिनांक 03 जून 2015 द्वारा ईंट भट्टा सीजन वर्ष 2014–15 (दिनांक 01.10.2014 से दिनांक 30.09.2015 तक) एवं सीजन वर्ष 2015–16 (दिनांक 01.10.2015 से दिनांक 30.09.2016 तक) के लिए ईंट भट्टा समाधान योजना लागू की गयी थी जिसके बिन्दु संख्या 6 में ईंट भट्टा सीजन वर्ष 2015–16 के सम्बन्ध में समाधान राशि देने का विकल्प अपनाने के इच्छुक व्यापरियों द्वारा प्रार्थना–पत्र अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को दिनांक 30.10.2015 तक प्रस्तुत किये जाने सहित सामान्य रूप से प्रार्थना पत्र देने की अवधि आयुक्त कर द्वारा बढ़ाये जा सकने सम्बन्धी प्राविधान किया गया है।

ईंट निर्माता कल्याण समिति जनपद हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत किये गये अपने प्रत्यावेदन में वर्ष 2014–15 की ईंट भट्टा समाधान योजना की अंतिम दो किस्तों का भुगतान किया जाना शेष रहने के दृष्टिगत तथा वर्ष 2014–15 की सभी किस्तें देने का समय समाप्त होने से पूर्व ही वर्ष 2015–16 के आवेदन की तिथि निर्धारित किये जाने के व्यवहारिक नही होने के कारण वर्ष 2015–16 की समाधान योजना के प्रार्थना–पत्र देने की तिथि दिनांक 31.03.2016 तक बढाये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त क्रम में ईंट भट्टा समाधान योजना हेतु वर्ष 2015–16 के सम्बन्ध में समाधान राशि देने का विकल्प अपनाने के इच्छुक व्यापारियों द्वारा अपने करनिर्धारक प्राधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 30.11.2015 तक बढ़ाये जाने सम्बन्धी आदेश किये जाते हैं।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

3957
पृ0प0सं0 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
3– समस्त एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड।
4– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0/प्र0) वाणिज्य कर, देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार/रूड़की/काशीपुर/बाजपुर/रूद्रपुर/खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/ईंट भट्टा एसोसियेशन /व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**
5– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
6– श्री शहाब अली, डि0कमि0, वा0कर देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
7– कार्यालय अधीक्षक/विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
8– समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

669
05.11.15

आवश्य
डि.कमि.(का...
वाणिज्य कर, देहरा...